राजस्व वाद 96 / 2021
जीसीएमएस नंबर 2021 / 174
प्रहलादराम बनाम् मोहनराम वगैरह

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कसनाउ के खेत खसरा नंबर 295 रकबा 9.9229 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 मोहनराम के साथ खाता संख्या 275 में सहखातेदार घोषित किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है। पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

1. वादी संख्या 1 प्रहलादाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 295 रकबा 9.9229 हैक्टेयर में से 3.2375 हैक्टैयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 कैलाशराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 295 रकबा 9.9229 हैक्टेयर में से 3.2375 हैक्टैयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 मोहनराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 295 रकबा 9.9229 हैक्टेयर में से 3.4479 हैक्टैयर नजरीनक्शानुसार उतरी हिस्सा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 सुमन के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है क्यों कि सुमन ने नकद जेवरात आदि लेने के बाद अपना हक बंट अपने भाईयों के पक्ष में छोड़ दिया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमुनसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

19/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner